बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

संख्या–15/आरोप (सहरसा) 02–22/2025–.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, सहरसा के पत्रांक–50/सं0सं0 दिनांक–06.02.2025 के द्वारा **श्री अनुज कुमार, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, सहरसा** के विरूद्ध अनुशासनहीनता, कार्य में रूचि नहीं लेने, मनमाने रवैया अपनाने एवं उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने जैसे आरोप विभाग को प्रतिवेदित किया गया। प्राप्त आरोपों यथा–बिना स्वीकृति आदेश के अवकाश मे प्रस्थान करने, सहरसा जिलान्तर्गत आयोजित विशेष सर्वेक्षण शिविर में प्रायः अनुपस्थित पाये जाने एवं सरकारी वाहन से पैतृक गृह आवास जहानाबाद प्रस्थान करने संबंधी आरोपों पर अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त विभाग स्तर पर पुर्नगठित करते हुए विभागीय पत्रांक–999(15) दिनांक–17.06.2025 द्वारा श्री कुमार से बचाव का लिखित अभिकथन की मांग की गयी जिसके आलोक में श्री कुमार द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन दिनांक–18.07.2025 से विभाग में समर्पित किया गया।

2. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त विभागीय पत्रांक–1595(15) दिनांक–29.08.2025 द्वारा समाहर्त्ता, सहरसा से मंतव्य की मांग की गयी, जिसके आलोक में समाहर्त्ता, सहरसा का पत्रांक–624/बंदो0 दिनांक–17.07.2026 द्वारा अपना मंतव्य विभाग को समर्पित किया गया जिसमें आरोप पत्र में प्रतिवेदित सभी 04 आरोपों से संबंधित स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य अंकित किया गया है।

3. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों, आरोपी पदाधिकारी के बचाव का लिखित अभिकथन एवं समाहर्त्ता से प्राप्त मंतव्य के अवलोकन/समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा स्पष्टीकरण स्वीकार करते हुए मामले को "संचिकास्त" किये जाने का निर्णय लिया गया हैं।

4. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अनुज कुमार, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, सहरसा सम्प्रति अंचल अधिकारी, औरंगाबाद सदर से संबंधित आरोप प्रकरण को **"संचिकास्त"** किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(संजय कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–15/आरोप (सहरसा) 02–22/2025–.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–

ई–मेल/निबंधित

प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता, सहरसा एवं औरंगाबाद/ श्री अनुज कुमार, अंचल अधिकारी, औरंगाबाद सदर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
(संजय कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:–15/आरोप (सहरसा) 02–22/2025–2124 (15)/रा0, पटना–15, दिनांक– 12/11/26

प्रतिलिपि :–माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना (**मूल प्रति में**)/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

04/11/26

(संजय कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।